41–(08)–49–2018

पटना में दिनांक–17 जुलाई, 2018 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

भवन निर्माण विभाग

1.	संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 09 (नौ) कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2019 तक पुनर्नियोजन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	1.	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

2.	डा० रेहान अशरफ तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ट नियंत्रण ईकाई जहानाबाद को एम०एस०डी० कोलकता से अनियमित दवा क्रय संबंधी वित्तीय अनियमितता (misconduct) के कारण प्रमाणित आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	2.	**स्वीकृत।**

वित्त विभाग

4.	संविधान के अनुच्छेद–151 (2) के अधीन महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति की अनुशंसा प्राप्त कर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष 2016–17 का "सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन" को बिहार विधान मंडल के आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में।	4.	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

5.	जल संसाधन विभाग के द्वारा संविदा पर नियोजित कर उपलब्ध कराये गये कनीय अभियंताओं में से सम्प्रति कार्यरत 40 (चालीस) कनीय अभियंताओं के कार्यकलाप पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने के फलस्वरूप उनकी सेवा अवधि संलग्न अनुलग्नक–1 में अंकित तिथि के अनुसार 1 (एक) वर्ष के लिए प्रतिमाह रू० 27000 मानदेय या पारिश्रमिक पुनरीक्षण समिति द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित पारिश्रमिक पर विस्तारित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	5.	**स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(मत्स्य)

6.	बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 यथा संशोधित 2007 एवं 2010 में संशोधन हेतु बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018 के प्रारूप के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।	6.	**स्वीकृत।**

विधि विभाग

7.	बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2018 की स्वीकृति।	7.	**स्वीकृत।**